4 फारम सं0-563

आदेश या कार्रवाई के टिप्पणी तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

श्री जागेश्वर राम पिता स्व0 रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-89, प्लॉट संख्या-1756, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि विजय कुमार राम पिता कैलाश राम, निवास स्थान ग्राम-बाबुपारा बादम, पोस्ट-बादम, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-199/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2754/रा0 दिनांक 21.07.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 618 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। पंजी-।। के अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.6163 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-205/IX पर जगेश्वर राम वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2018-19 तक लगान रसीद निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 40.40 डिसमिल भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 35.40 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1472 दिनांक 12.09.2022 से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उल्लेखित है कि मौजा-हुरहुरू, थाना संख्या-147, खाता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

संख्या-89, प्लॉट संख्या-1756, रकवा-0.05 एकड़ भूमि रैयती खाते की है। प्रतिवेदन के साथ प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही प्रश्नगत् भूमि का वित्तीय वर्ष 2022-23 तक निर्गत् लगान रसीद की प्रति भी उपलब्ध कराया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में श्री जागेश्वर राम पिता स्व0 रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-89, प्लॉट संख्या-1756, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि विजय कुमार राम पिता कैलाश राम, निवास स्थान ग्राम-बाबुपारा बादम, पोस्ट-बादम, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.29 16:14:44 +05:30
Location: 192.168.100.2